भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. *4
(जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मुकदमों की संख्या कम करने हेतु कदम

***4. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः**
श्री जगदम्बिका पालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में वापस लिए गए अथवा कम किए गए मामलों की संख्या के सम्बन्धित आंकड़े क्या हैं; और
(ग) क्या सरकार देश में व्यवसाय करने में सुगमता से सुधार लाने और कारपोरेट शासन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

जारी 2/-

दिनांक 22.07.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *4 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने विभिन्न अदालतों में लंबित अभियोजनों की समीक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2017 में और बाद में 2022 में, अभियोजन वापस लेने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों को उन अपराधों से मुक्त करना था जो प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी अदालतें गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। यह परिकल्पना की गई थी कि प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के मामलों को एक न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

तदनुसार, 2017 में आयोजित विशेष अभियान-I में 14,247 अभियोजन वापस ले लिए गए। इसके अतिरिक्त, 2023 में विशेष अभियान- II में पहचाने गए 7338 प्रशमनीय मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15.07.2024 तक, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष वापसी के लिए 6294 आवेदन दायर किए गए हैं। तथापि, गंभीर गैर-प्रशमनीय अपराधों पर अभियोजना चलाया जाना जारी रहेगा।

(ग): ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस में सुधार करने और कारपोरेट शासन में वृद्धि करने के लिए एमसीए ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख कदम शामिल हैं:-

(i) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के अंतर्गत 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। विअपराधीकरण के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन मामलों को अधिनिर्णयन की ओर स्थानांतरित करना भी रहा है।

(ii) निगमन के लिए केन्द्रीकृत कम्पनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना; -

(iii) कंपनियों के स्वैच्छिक निकास के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलेरेटेड कारपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की स्थापना;

जारी 3/-

(iv) स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के अंतर्गत फाइल किए गए ई-प्ररूपों की केन्द्रीकृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच केन्द्र (सीएससी) की स्थापना;

(v) 50 से अधिक प्ररूपों को एसटीपी में परिवर्तित करना जिनके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुमोदन अपेक्षित था;

(vi) निर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) की स्थापना;

(vii) कंपनी के निगमन के समय एक ही स्थान पर नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रोएस नामक लिंक किए गए प्ररूप के साथ एक नया ई-प्ररूप एसपीआईसीई+ शुरू करना ताकि व्यवसाय तुरंत शुरू किया जा सके। इसी तरह, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था;

(viii) ऐसी लघु कंपनियों की प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर लघु कंपनियों, जिसकी प्रदत्त पूंजी 4.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 40.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अध्यधीन है

(ix) 15.00 लाख रुपए तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क;

(x) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए विस्तारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में स्टार्टअप्स का अन्य स्टार्टअप्स और लघु कंपनियों के साथ विलय शामिल है, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके;

(xi) वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करना;

जारी..4/-

(xii) किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत;

(xiii) मंत्रालय ने कंपनी (अनुमत क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग) नियम, 2024 जारी किया है जो भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को जीआईएफटी आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज(जों)) पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है;

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सूचित किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कारपोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे कि:

(i) सूचीबद्ध संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और निवेशकों के लिए प्रकटन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए कारपोरेट शासन संबंधी अपेक्षाएं शुरू की गई हैं। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के विनियम 15 से 27 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारपोरेट शासन अपेक्षाओं से संबंधित हैं।

(ii) प्री-फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्युमेंट्स की शुरूआत, बाय बैक प्रोसेस को सरल बनाना और समय-सीमा में कमी करना, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के साथ अनुपालन के तरीकों को युक्तिसंगत बनाना, सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की सूचीबद्धता के लिए समय-सीमा को T+6 दिनों से घटाकर T+3 दिन आदि करना।

(iii) बीआरएसआर (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट) कोर की शुरूआत, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा वास्तविक घटनाओं या सूचना के प्रकटीकरण को युक्तिसंगत बनाने, सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरधारकों को सशक्त बनाने आदि जैसे उपायों के माध्यम से पिछले एक वर्ष में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस ढांचे को सुदृढ़ किया गया।

(iv) जहां तक ऋण सूचीबद्ध कंपनियों का संबंध है, कारपोरेट गवर्नेंस मानदंड, हाई मूल्य डेट लिस्टिड एन्टिटी(एचवीडीएलई) अर्थात् ऐसी सूचीबद्ध कंपनी पर लागू होते हैं जिसने अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और जिसकी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक का है। वर्तमान में उक्त प्रावधान 31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्ट करें' के आधार पर और उसके बाद अनिवार्य आधार पर लागू हैं।

*****